इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 57 / प्र030–भवन / जोन 1 / 2013–14 दिनांक 29 / 11 / 2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर कार्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री प्रियदर्शी सचदेवा पुत्र श्री डी0एस0 सचदेवा द्वारा पार्ट आफ साईट नं0–53 एवं 53 / 4 सिविल स्टेशन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग एवं काल्विन मार्ग का कोना इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 02 अदद वृक्ष लगाने होंगें तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. आप द्वारा मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गयी भूमि पर एफ0ए0आर0 Achive किया जा रहा है, अतएव मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी जाने वाली भूमि का मुआवजा किसी भी विभाग से प्राप्त नहीं किया जायेगा।
6. बेसमेन्ट में यांत्रिक प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था करनी होगी तथा निर्माण कार्य भूकम्परोधी किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पूर्व स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी जाने वाले भूमि पर कोई भी निर्माण निषिद्ध होगा तथा मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. स्थल का अधिभोग / उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही अनुमन्य होगा, जिसमें बेसमेन्ट में स्टोर, स्टिल्ट पर पार्किंग, प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय तल पर कार्यालय भवन का निर्माण / उपयोग अनुमन्य होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद द्वारा भविष्य में कोई भी वित्तीय देयता / प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते है तो उसका अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
10. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Continued

Issued with map
29/11/13

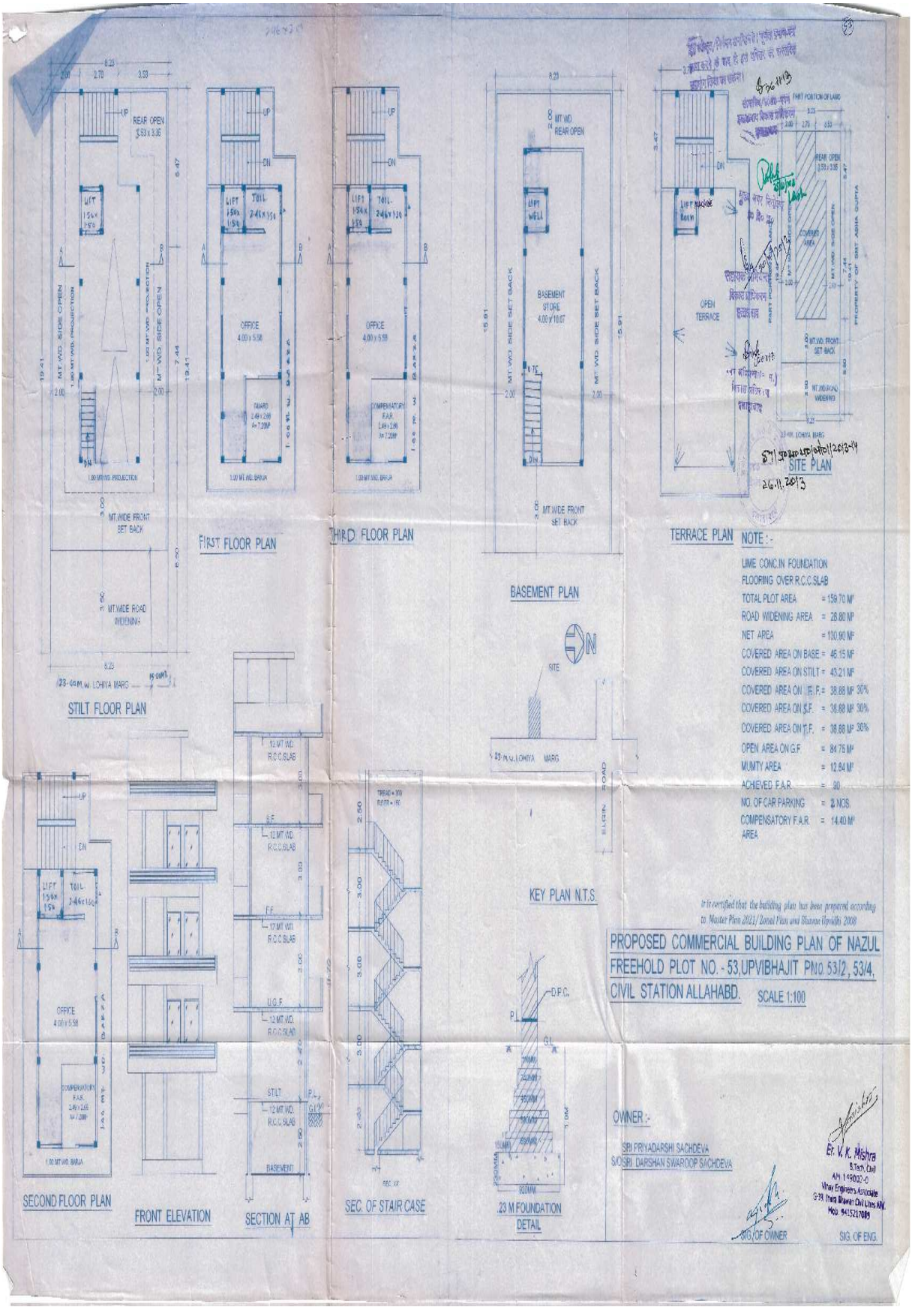

NOTE :-

LIME CONC.IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C.SLAB

TOTAL PLOT AREA	= 159.70 M²	
ROAD WIDENING AREA	= 28.80 M²	
NET AREA	= 130.90 M²	
COVERED AREA ON BASE	= 46.15 M²	
COVERED AREA ON STILT	= 43.21 M²	
COVERED AREA ON F.F.	= 38.88 M²	30%
COVERED AREA ON S.F.	= 38.88 M²	30%
COVERED AREA ON T.F.	= 38.88 M²	30%
OPEN AREA ON G.F.	= 84.75 M²	
MUMTY AREA	= 12.84 M²	
ACHIEVED F.A.R.	= .90	
NO. OF CAR PARKING	= 2 NOS.	
COMPENSATORY F.A.R. AREA	= 14.40 M²	

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2008

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF NAZUL FREEHOLD PLOT NO. - 53,UPVIBHAJIT PNo. 53/2, 53/4, CIVIL STATION ALLAHABD.

SCALE 1:100

OWNER :-

SRI PRIYADARSHI SACHDEVA
S/O SRI DARSHAN SWAROOP SACHDEVA

SIG. OF OWNER

Er. V. K. Mishra
B.Tech. Civil
AM 149002-0
Vinay Engineers Associate

SIG. OF ENG.